अनुमण्डलीय न्यायालय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–545 / 2012

आदेश

20.02.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ आदेश 6 नियम 17 धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक–21.11.2023 संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया तथा उनका कहना है कि प्रस्तुत वाद में मुदई के बहस वास्ते चल रहा है। बहस के दरमियान यह तथ्य मालूम हुआ कि टाईपिस्ट के भूलवश उपरोक्त वाद के अमुर दादरसी के पारा नं0–1 में मन मुदईया के हिस्से का एसपेसीफीक तौर पर टाईप होना छुट गया है जिसका अमुर दादरसी में दर्ज होना न्यायहित में जरूरी है। जो अल्फाज जोड़ा जायेगा वह अमुर दादरसी के पारा नं0–1 के तीसरे लाइन मन मुदईया के हिस्से का 1/4 का 1/2 यानी 1/8 दर्ज किया जाए। उपरोक्त संशोधन मात्र फार्मल नेचर का है जिसमें मुकदमे में किसी तरह का कोई नेचर चेंज नहीं होगा। अतः निवेदन है कि संशोधन करने का आदेश दिया जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के तरफ से प्रतिउत्तर दिनांक–22.12.2023 में उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मुदईया का सवाल कानूनन एवं तथ्य की दृष्टि से पोषयीय नहीं है। अर्जी संशोधन बिल्कुल ही मालाफाइड तौर पर दाखिल किया गया है। मुदईया का सवाल विलेटेड एण्ड ऑफटर थॉट है। मुदईया मुकदमा को लिंगर करने हेतू दाखिल किया है। अर्जी संशोधन का सवाल मुकदमे के ट्रायल होने पूर्व जो न्यायसंगत हो उसे संशोधित किए जाने हेतू दाखिल किया जा सकेगा। उपरोक्त संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है, जब तक सम्यक तत्परता के बावजूद न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि पक्षकार विचारण के प्रारंभ के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता। उपरोक्त वाद में दोनों पक्षों का साक्ष्य होकर प्रतिवादी सं0–1 का बहस भी होकर मुदईया के बहस हेतू चल रहा है ऐसी स्थिति में सवाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त वाद में पी.डबलू. 5 के रूप में मुदईया का साक्ष्य हुआ है। उन्होंने अपने चीफ के पारा नंबर 6 में स्पष्ट बयान किया है कि विवादित एराजी में हम मुदईया का हिस्सा 1/2 है वैसे हालत में अमुरदादरसी के पारा नं0–1 के तीसरे लाईन में मुदईया के हिस्से का 1/4 का 1/2 यानी 1/8 दर्ज नहीं किया जा सकता अन्यथा प्लीडिंग के खिलाफ होगा। अतः निवेदन है कि मुदईया के अर्जी संशोधन का सवाल खारिज किया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतू नियत था एवं वादी के द्वारा बहस के स्टेज पर अपने वाद पत्र में संशोधन हेतू यह आवेदन लाया गया है। यह संशोधन आवेदन काफी विलंब से लाया गया है। वादी ने अपने संशोधन आवेदन में 1/4 का 1/2 हिससा यानी कुल 1/8 दर्ज करने का प्रार्थना किया है। वाद पत्र के अमुर दादरसी में वादी के द्वारा अपने हिस्सा मेंसन नहीं किया गया था। जहां तक प्रतिवादी का यह कथन कि विचारण प्रारंभ हो जाने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन अनुज्ञात नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का मानना है कि वाद के सही न्याय निर्णयन हेतू वादी के द्वारा कोई भी संशोधन आवेदन जिससे मुकदमा की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे न्यायहित में स्वीकार कर देना चाहिए। वादी द्वारा यह आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है एवं अर्जी में सुधार हेतू जो प्रार्थना किया गया है उससे वाद की प्रकृति एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी का आवेदन को 1500/—रू0 खर्चा के साथ जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहे तो इस संशोधन के आलोक में अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते है।

वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं।

लेखापित

(रघुबीर प्रसाद)
सब जज—तृतीय